ए.

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस।

वी.

पटेल रामनभाई माथुरभाई (2019 की सिविल अपील संख्या 7528)

बी.

सितंबर 23,2019

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू कानून-पिता द्वारा बेटे के पक्ष में वसीयत की गई स्व-अर्जित संपत्ति-बेटे के हाथों में ऐसी संपत्ति की प्रकृति-अपीलकर्ता-वादी दाता के बेटे हैं (मृत होने के कारण)-अपने जीवनकाल के दौरान, दाता ने प्रतिवादी के पक्ष में कथित रूप से उपहार विलेख निष्पादित किया-निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि संपत्ति पैतृक थी-पहली अपीलीय अदालत द्वारा अभिनिर्धारित-उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति दाता के हाथों में पैतृक नहीं थी और इसलिए, वह उपहार विलेख निष्पादित करने में सक्षम था-अपील पर कहा गया:मान लीजिए कि अपीलार्थीगण के दादा ने संपत्ति खरीदी थी और इस तरह की स्व-अर्जित संपत्ति वसीयत के माध्यम से दानदाता को विरासत में दी गई थी-इस प्रकार, अपीलकर्ता के दादा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत को निष्पादित करने में सक्षम थे और चूंकि वसीयत का लाभार्थी उनका बेटा (दाता) था, इसलिए वसीयत में किसी भी इरादे के अभाव में, लाभार्थी संपत्ति को स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में प्राप्त करेगा-अपीलार्थीगण ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि 1964 में दानदाता और उनके दो भाइयों के बीच पारिवारिक विभाजन हुआ था-प्रतिपरीक्षा में एक बयान कि दानदाता और उनके दो भाइयों के बीच विभाजन हुआ था, संपत्ति को उनके हाथों में पैतृक नहीं बनाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

152

153

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रमनभाई माथुरभाई ए

उपहार विलेख के निष्पादन के मनगढ़ंत और विशिष्ट इनकार के कारण, दानकर्ता उपहार विलेख के प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच करने के लिए बाध्य नहीं था-रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, दानकर्ता कई वर्षों से दाता की देखभाल कर रहा था-अपीलकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे लेकिन अपने माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहे-इसलिए, अपीलार्थीगण के पिता ने एक व्यक्ति के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित किया जो उनके साथ खड़ा था-उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं थी-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 -s.123-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 -धारा. 63-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 68-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -s.100 और या। VI,आर. 4.

बी.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 68-अपीलार्थी-वादी दाता के पुत्र हैं (मृत होने के बाद से)-अपने जीवनकाल के दौरान, दाता ने प्रतिवादी के पक्ष में कथित रूप से उपहार विलेख निष्पादित किया-विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि संपत्ति पैतृक थी-प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति दाता के हाथों में पैतृक नहीं थी और इसलिए, वह उपहार विलेख निष्पादित करने में सक्षम था-आयोजितःधारा 68 वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से सत्यापन करने वाले गवाहों में से एक की जांच करना अनिवार्य बनाती है, लेकिन ऐसी सीमा 1908 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के संबंध में लागू नहीं होती है, जब तक कि निष्पादन विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है-वर्तमान मामले में, शिकायत के पूरे पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि उपहार विलेख के निष्पादन का कोई विशिष्ट इनकार था-इस प्रकार, उपहार विलेख के निष्पादन के विशिष्ट इनकार के अभाव को देखते हुए, दान विलेख-भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के सत्यापन करने वाले गवाहों में से एक की जांच करने का कोई दायित्व नहीं था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.1** पीडब्लू**-1** ने एक्ज़िबिट **34** के माध्यम से कहा है कि विचाराधीन संपत्ति उनके दादा द्वारा खरीदी गई थी और उनके दादा की मृत्यु के बाद, संपत्ति का स्वामित्व **1952-1953** के बाद से विरासत के अनुसार दाता के पास था।अपीलार्थीगण ने जिरह में कहा कि वर्ष **1964** में दाता और उनके दो भाइयों के बीच पारिवारिक विभाजन हुआ था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि चूंकि **1964** में संपत्ति का विभाजन किया गया था, इसलिए दाता ने संपत्ति का अधिग्रहण स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति के रूप में किया है।प्रतिपरीक्षा में एक बयान कि दाता के बीच विभाजन था

जी.

एच.

और उसके दो भाई संपत्ति को डोनर के हाथों में पैतृक नहीं बना देंगे।दानदाता के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत को अपीलार्थीगण द्वारा यह दिखाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जब दानदाता के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया गया था तो उनके दादा का क्या इरादा था।यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि दादा ने संपत्ति खरीदी थी, इस प्रकार, ऐसी स्व-अर्जित संपत्ति अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भी दाता को विरासत में दी गई थी।अपीलार्थीगण के दादा ने संपत्ति खरीदी, इसलिए वे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने में सक्षम थे।चूँकि वसीयत का लाभार्थी उसका बेटा था और वसीयत में किसी भी इरादे के अभाव में, लाभार्थी सी. एन. अरुणाचल मुदलियार मामले के संदर्भ में स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण करेगा।इस बात के प्रमाण का भार कि संपत्ति पैतृक थी, केवल वादी पर था।यह उन्हें साबित करना था कि वसीयत का उद्देश्य परिवार के लाभ के लिए संपत्ति को पहुँचाना था ताकि इसे पैतृक संपत्ति के रूप में माना जा सके।इस तरह के किसी भी कथन या प्रमाण के अभाव में, दाता के हाथों में संपत्ति को स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए।एक बार जब दाता के हाथों में संपत्ति को स्व-अर्जित संपत्ति माना जाता है, तो वह अपनी संपत्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करने में सक्षम था जिसे वह उचित समझता था, जिसमें परिवार के लिए किसी अजनबी के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित करना भी शामिल था।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, **1882** की धारा **123** के अनुसार एक उपहार विलेख को अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।इसी तरह का प्रावधान एक वसीयत के निष्पादन के संबंध में है जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, **1925** की धारा **63** के संदर्भ में सत्यापित किया जाना आवश्यक है।साक्ष्य अधिनियम की धारा **68** वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से प्रमाणक गवाहों में से एक की जांच करना अनिवार्य बनाती है, लेकिन ऐसी सीमा भारतीय

पंजीकरण अधिनियम**, 1908** के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के संबंध में लागू नहीं होती है**,** जब तक कि निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है।**[**पैरा **10,11,21** और **24] [160-**ई-जी**; 166-**एफ-एच**; 167-**ए**,** ई-एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2 अपीलार्थीगण **3** दिसंबर**, 2001** की वसीयत का उल्लेख करते हैं**,** जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे दाता ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था।लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तावित वसीयत के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है।वास्तव में**,** वसीयत के किसी भी प्रमाणक गवाह की जांच नहीं की गई है।इसलिए**,** अपीलार्थीगण द्वारा जिस वसीयत पर भरोसा किया गया है**,** उसे साबित नहीं कहा जा सकता है।**[**पैरा **28] [170-**सी**]** ए

जी.

एच.

155

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रमनभाई माथुरभाई ए

1.3 यद्यपि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर चर्चा की है**,** लेकिन इस निष्कर्ष को देखते हुए कि संपत्ति पैतृक है**,** कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि उपहार विलेख जाली है या तैयार किए गए मुद्दे के अनुसार नहीं।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक संक्षिप्त निर्णय में विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की।ट्रायल कोर्ट ने कोई भी निष्कर्ष वापस नहीं किया है कि उपहार विलेख जाली है।इसलिए**,** उच्च न्यायालय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुद्दा संख्या **1** का निर्णय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था।अभियोग के पूरे पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि उपहार विलेख के निष्पादन का कोई विशिष्ट इनकार था।**[**पारस **30,31] [171-**ई-जी**]**

बी.

सी.

1.4 सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908** के आदेश **VI** नियम **4** में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जिनमें किसी भी गलत निरूपण**,** धोखाधड़ी**,** विश्वासघात**,** जानबूझकर चूक या अनुचित प्रभाव के आरोप हैं**,** अभिवचनों में आवश्यक विवरण दिए जाने की आवश्यकता है। अपीलार्थीगण पर उपहार विलेख के मनगढ़ंत होने के आधार पर मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थीगण ने उपहार विलेख को स्वीकार किया है लेकिन आरोप लगाया है कि यह जाली या मनगढ़ंत है।हालाँकि**,** अपीलार्थीगण उपहार विलेख के निष्पादन में कोई जालसाजी साबित नहीं कर पाए हैं।**[**पारस **36,38] [173-**डी**-**जी**]**

डी.

1.5 वर्तमान मामले के तथ्य उन तथ्यों के समान हैं जो कन्नन नांबियार मामले में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष थे।अपीलार्थीगण ने दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार नहीं किया है**,** बल्कि जालसाजी और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।किसी भी जालसाजी या मनगढ़ंत के किसी भी सबूत के अभाव में और कन्नन नाम्बियार में आयोजित तरीके से उपहार विलेख के निष्पादन के विशिष्ट इनकार के अभाव में**,** डोनी उपहार विलेख के प्रमाणक गवाहों में से एक की जांच करने के लिए बाध्य नहीं था।अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार**,** दानदाता कई वर्षों से दानदाता की देखभाल कर रहा था।अपीलार्थीगण संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे लेकिन अपने माता**-**पिता की देखभाल करने में विफल रहे।इसलिए**,** अपीलार्थीगण के पिता ने एक व्यक्ति के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित किया जो उनके साथ खड़ा था।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है।इस प्रकार**,** उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है जो वर्तमान अपील में हस्तक्षेप का कारण बन सकती है।**[**पारस **41,42] [176-**बी**-**ई**]**

ई.

एफ.

जी.

श्याम नारायण प्रसाद बनाम कृष्ण प्रसाद और अन्य। **(2018)**

7 एससीसी **646:[2018] 5** एससीआर **36-**प्रतिष्ठित।

एच.

एल. आर. एस. एंड ओ. आर. एस. वी. द्वारा रोसमल इसेथीनाम्मल फर्नांडीज (मृत)जूसा मारियान फर्नांडीज और ओआरएस। (2000) 7

एससीसी 189:[2000] 2 पूरक।एस. सी. आर. 336; के. लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल पद्मिनी और अन्य। (2009) 1 एससीसी 354:[2008] 16 एस. सी. आर. 1117-लागू नहीं होता है।

सी. एन. अरुणाचल मुदलियार बनाम सी. ए. मुरुगनाथा

बी.

मुदलियार और अन्र। ए. आई. आर 1953 एस. सी. 495:[1954] एस. सी. आर. 243-पर निर्भर।

दशरथ प्रसाद बाजूराम बनाम लल्लोसिंह सनमानसिंह

& एन. आर. ए. आई. आर. 1951 नाग 343; कन्नन नाम्बियार बनाम नारायणी अम्मा और अन्य। 1984 के. एल. टी. 855-अनुमोदित।

सी.

थुलसिधार और अन्र बनामनारायणप्पा और ओआरएस। **(2019) 6** एससीसी **409;** जुगमोहन दास बनाम सर मंगल दास **(1886)** आई**.** एल**.** आर**. 10** बम **528;** पी अर्सोतम बनाम जानकी बाई**,** आई**.** एल**.** आर**. 29** सभी **354;** अमरनाथ बनाम गुरन**,** ए**.** आई**.** आर**. 1918** लाह **394;** पुलवर्थी वेंकट सुब्बा राव और अन्य। वी**.**वल्लूरी जगन्नाथ राव **(**मृतक**)** अपने उत्तराधिकारियों और एल**.** आर**.** और अन्य द्वारा। ए**.** आई**.** आर **1967** एस**.** सी **591:[1964]** एस**.** सी**.** आर**. 310;** बदत एंड कंपनी बॉम्बे बनाम ईस्ट

डी.

इंडिया ट्रेडिंग कंपनी ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 538:[1964] एस. सी. आर. 19-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ई.

(2019) 6 एस**.** सी**.** सी**. 409**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[1954] एससीआर **243**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

[2018] 5 एससीआर **36**

प्रतिष्ठित

पैरा **7**

(1886) आई**.** एल**.** आर**. 10** बम **528** पैरा **14** को संदर्भित पैरा **15**

एफ.

आई**.** एल**.** आर**. 29** सभी **354**

ए**.** आई**.** आर**. 1918** लाह **394**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[1964] एससीआर **310**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

जी.

[2000] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 336** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **32 [2008] 16** एस**.** सी**.** आर**. 1117** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **32 [1964]** एस**.** सी**.** आर**. 19**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

आकाशवाणी **1951** नाग **343**

मंजूरी मिल गई।

पैरा **39**

एच.

1984 के**.** एल**.** टी**. 855**

मंजूरी मिल गई।

पैरा **40** ए

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रमनभाई माथुरभाई ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 7528।

2018 की दूसरी अपील संख्या 211 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.09.2018 के निर्णय और आदेश से

वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. आर. गुप्ता, आदित्य गुप्ता, सुश्री देवांशी पोपट और प्रतीक के. चड्ढा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

बी.

नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित और शिवा पी., अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर, 2018 को दूसरी अपील में पारित आदेश वादी-अपीलार्थियों की ओर से वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

डी.

3. अपीलार्थीगण छोटाभाई आशाभाई पटेल 1 के पुत्र हैं जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर, 2001 को हुई थी।अपने जीवनकाल के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर प्रतिवादी रमनभाई माथुरभाई पटेल 2 के पक्ष में 15 नवंबर, 1977 को एक उपहार विलेख निष्पादित किया।

4. पक्षकारों पर निम्नलिखित मुद्दों पर मुकदमा चलाः

ई.

(i) क्या वादी यह साबित करते हैं कि विवादित उपहार विलेख मनगढ़ंत है?

((ii) क्या वादी यह साबित करते हैं कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है और स्वर्गीय छोटाभाई आशाभाई को उपहार विलेख को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था?

एफ.

((ग) क्या वादी यह साबित करते हैं कि प्रतिवादी का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है?

((iv) क्या वादी यह साबित करते हैं कि वे राहत पाने के हकदार हैं जैसा कि प्रार्थना की गई थी?

जी.

(v) क्या प्रतिवादी यह साबित करता है कि वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?

((vi) कौन-सा आदेश और डिक्री?

1 संक्षेप में, 'डोनर' 2, 'डन'

एच.

5. उच्च न्यायालय ने कानून के पांच महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए और कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निष्कर्ष देने के बाद, 10 फरवरी, 2014 को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री और 9 अक्टूबर, 2017 को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया।

6. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह हैं कि दायर किए गए मुकदमे में उपहार विलेख के निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के परंतुक के संदर्भ में प्रमाणित करने वाले गवाहों में से किसी एक की जांच करना आवश्यक नहीं है।यह भी माना जाता है कि मुक़दमे की संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं है।संपत्ति दाता के पिता आशाभाई पटेल द्वारा खरीदी गई थी और यह आशाभाई पटेल द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर है, संपत्ति वर्ष 1952-1953 में दाता के स्वामित्व में आई।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दाता 15 नवंबर, 1977 के उपहार विलेख को निष्पादित करने के लिए सक्षम था क्योंकि संपत्ति दाता के हाथों में पैतृक नहीं थी।ऐसे प्रश्नों पर प्रासंगिक निष्कर्ष जो दूसरी अपील में विचार के लिए उत्पन्न हुए, निम्नानुसार हैं:

बी.

सी.

डी.

“92. एक बार फिर, दोहराने की कीमत पर, मैं कहता हूं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 का नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला गया है।धारा 68 में साक्ष्य से अपवर्जन के नियम को लागू करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब कोई पक्ष सत्यापन की आवश्यकता वाले दस्तावेज़ पर भरोसा करने की इच्छा रखता है, इसे एक निश्चित तरीके से साबित करने में विफल रहता है।जैसा कि मैंने पहले देखा है, तब पार्टी इसका सबूत के रूप में उपयोग नहीं कर पाएगी।लेकिन साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज़ के उपयोग के खिलाफ इस प्रक्रियात्मक अक्षमता को किसी भी तरह से एक सकारात्मक निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है कि मूल राहत या रद्द करने में दावा किए गए विलेख से बचने के लिए हमले के आधार मौजूद थे।वादी प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामले में कमजोरी या दोष पर भरोसा करके सफल नहीं हो सकता है।कानून यह है कि वादी केवल अपने मामले के बल पर ही मुकदमे में सफल हो सकता है।एक्सएक्स

ई.

एफ.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

105. वादी का मामला बहुत विशिष्ट है।उनके अनुसार, सूट संपत्तियों को उनके दादा द्वारा खरीदा गया था और उन संपत्तियों को उनके दादा की वसीयत के बल पर उनके पिता को सौंप दिया गया था।हिंदू कानून, जैसा कि आज है, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करता है कि यदि यह एक

जी.

3 संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम' ए

एच.

159

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

पिता की स्व-अर्जित संपत्ति, यह उनके बेटों के हाथों में आती है न कि सह-आंशिक संपत्ति के रूप में, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता में उन पर हस्तांतरित होगी।जहाँ संपत्ति पिता की स्व-अर्जित संपत्ति है, वहाँ यह उसके बेटे की व्यक्तिगत क्षमता में उसके हाथों में आती है न कि सह-आंशिक संपत्ति के रूप में ऐसे मामले में बेटे का बेटा ऐसी संपत्ति में अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

बी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

108. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि वादी के पिता को हस्तांतरित वाद संपत्तियों को सह-आंशिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है।संपत्तियों को वादी के दादा द्वारा खरीदा गया था, जैसा कि वादी ने खुद कहा और स्वीकार किया था।दादा की ऐसी स्व-अर्जित संपत्तियों को वादी के पिता को 'वसीयत' यानी वसीयती स्वभाव के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।ऐसी परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि संपत्तियां वादी के पिता की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं।उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार होता। जब संपत्तियों को वादी के पिता की स्व-अर्जित संपत्तियां कहा जा सकता था, तो पिता निश्चित रूप से उन संपत्तियों को उपहार विलेख के माध्यम से हस्तांतरित कर सकते थे।

सी.

डी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ई.

114. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि वाद संपत्तियां वादी के पिता की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं, और ऐसी परिस्थितियों में, वादी के पिता के लिए प्रतिवादी के पक्ष में उपहार विलेख को निष्पादित करना खुला था।"

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि दूसरी अपील में हस्तक्षेप निर्णय के विपरीत है।

एफ.

तुलसीधारा और अन्र बनाम में इस न्यायालय का।नारायणप्पा और ओआरएस। **4.**यह है।

तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने पुराना राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और दस्तावेजों से (107 से 126 तक), संपत्ति पैतृक साबित होती है और यह ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष है।डोनी द्वारा इस तरह के साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया

था।यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि संपत्ति एक वसीयत के आधार पर दाता को हस्तांतरित की गई थी, इसलिए यह एक पैतृक संपत्ति नहीं है

जी.

एच.

4 (2019) 6 एस. सी. सी. 409

संपत्ति सी**.** एन**.** अरुणाचल में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है।

मुदलियार बनाम सी**.** ए**.** मुरुगनाथा मुदलियार और अन्र। **5.**निर्भरता है

श्याम नारायण प्रसाद बनाम कृष्ण प्रसाद और अन्य मामलों में भी इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया गया। 6 कि दादा की स्व-अर्जित संपत्ति उसके बेटे को पैतृक संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करती है।

8. दूसरी ओर, डोनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी यह स्वीकार करने में विफल रहे हैं कि उनके दादा ने संपत्ति खरीदी है और परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़कर अपने पिता को वसीयत के तहत दी है।अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को उलटकर अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, सही नहीं है क्योंकि दर्ज किया गया तर्क ही अवैध पाया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि सी. एन. अरुणाचल मुदलियार में निर्णय इस प्रभाव के लिए है कि मिताक्षर पिता द्वारा एक बेटे को विरासत में दी गई या उपहार में दी गई संपत्ति को डोनी के हाथों में स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में माना जाएगा।

बी.

सी.

डी.

9. जाँच किए जाने के लिए आवश्यक पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण ने साबित किया है कि डोनर के हाथों में संपत्ति पैतृक संपत्ति थी।

10. गोविंदभाई छोटाभाई पटेल (पीडब्लू-1) ने प्रदर्शनी 34 के माध्यम से कहा है कि विचाराधीन संपत्ति उनके दादा आशाभाई पटेल द्वारा खरीदी गई थी और उनके दादा की मृत्यु के बाद, संपत्ति का स्वामित्व 1952-1953 से विरासत के अनुसार दाता के पास था।

अपीलार्थीगण ने जिरह में कहा कि वर्ष 1964 में दाता और उनके दो भाइयों चिमनभाई पटेल और मोतीभाई पटेल के बीच पारिवारिक विभाजन हुआ था।इस प्रकार, यह तर्क दिया जाना चाहिए कि चूंकि 1964 में संपत्ति का विभाजन किया गया था, इसलिए दाता ने संपत्ति का अधिग्रहण स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति के रूप में किया है।

ई.

एफ.

11. हम पाते हैं कि प्रतिपरीक्षा में एक बयान कि दाता और उसके दो भाइयों के बीच विभाजन था, संपत्ति को दाता के हाथों में पैतृक नहीं बनाएगा।दानदाता के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत को अपीलार्थीगण द्वारा यह दिखाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जब दानदाता के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया गया था तो उनके दादा का क्या इरादा था।यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि दादा ने संपत्ति खरीदी थी, इस प्रकार, ऐसी स्व-अर्जित संपत्ति अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भी दाता को विरासत में दी गई थी।

जी.

5 आकाशवाणी 1953 एससी 495 6 (2018) 7 एससीसी 646 ए

एच.

161

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

12. इस न्यायालय ने सी. एन. अरुणाचल मुदलियार की तीन न्यायाधीशों की पीठ में इस सवाल पर विचार किया कि क्या वसीयत के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों को उसके हाथों में पैतृक या स्व-अर्जित संपत्ति माना जाना चाहिए।यह एक ऐसा मामला है जिसमें वादी ने अपने पिता और भाई के खिलाफ दायर मुकदमे में संपत्ति के विभाजन का दावा किया था।पिता का रुख था कि घर की संपत्ति उनके पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी और उन्होंने उन्हें वर्ष 1912 में निष्पादित वसीयत के तहत प्राप्त किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार के पिता के पास अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति पर स्वभाव की पूर्ण और अनियंत्रित शक्तियां हैं और उनका पुरुष मुद्दा किसी भी तरह से इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।अदालत ने इस सवाल की जांच करते हुए कि एक बेटा अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में किस तरह का हित लेगा, जो वह उनसे उपहार या वसीयतनामा वसीयत द्वारा प्राप्त करता है, यह माना गया कि मिताक्षर पिता को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर स्वभाव का पूर्ण अधिकार है, जिसमें

उनके पुरुष वंशजों द्वारा कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं था कि किसी पुत्र को विरासत में दी गई या उपहार में दी गई ऐसी संपत्ति को अनिवार्य रूप से पैतृक संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।यह भी माना गया कि एक पिता द्वारा अपने बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति केवल इस तथ्य के कारण नहीं बन सकती है कि उसे अपने पिता या पूर्वज से यह संपत्ति मिली थी।

13. न्यायालय ने पाया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे प्रश्नों का उत्तर अलग-अलग तरीकों से दिया गया है।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति उनके बेटे के हाथों में पैतृक संपत्ति बन जाती है जैसे कि उसे अपने पिता से विरासत में मिली हो, लेकिन अन्य उच्च न्यायालयों में, इस सवाल को प्रत्येक मामले में इसके तथ्यों के संदर्भ में तय किए जाने वाले निर्माण के रूप में माना जाता है कि क्या उपहार में दी गई संपत्ति का उद्देश्य बेटों को पैतृक संपत्ति के रूप में देना था या स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुगमोहन दास बनाम सर मंगल दास 7 में कहा कि अगर बेटा योजना बनाकर लेता है, तो संपत्ति उसके हाथों में स्व-अर्जित बनी रहती है।एक व्यक्ति अपनी स्व-अर्जित संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है, जिसमें उसके अपने बेटे भी शामिल हैं और इस तरह दी गई संपत्ति को दाता के हाथों में स्व-अर्जित माना जाएगा।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

जी.

“अब मैं इस सवाल पर आता हूं कि क्या एक बेटा, जिसे एक पिता वसीयत से अपनी स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ देता है, संपत्ति को योजनाबद्ध तरीके से लेता है या वंश द्वारा।यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, शायद मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।के लिए, अगर बेटा योजना द्वारा लेता है,

एच.

7 (1886) आई. एल. आर. 10 बम 528

मेरी राय में, संपत्ति उनके हाथों में स्व-अर्जित होती रहेगी, और लागू किए गए विभाजनों की जाँच करने की वसीयतनामा शक्ति के उपयोग से एक तैयार साधन दिया जाएगा।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

यह सिद्धांत अब सवाल से परे तय हो गया है, कि हिंदू कानून के तहत एक आदमी अपनी संपत्ति को उसी हद तक अलग कर सकता है जितना वह एक उपहार द्वारा कर सकता है। टैगोर मामले में (इंड. एपी। सुप. खण्ड. पी.68) प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स कहते हैं:"वसीयत द्वारा उपहार, निरसन तक, मृत्यु के क्षण तक उपहार का एक निरंतर कार्य है, और फिर लाभार्थियों के रूप में नामित व्यक्तियों को निपटाई गई संपत्ति देने के लिए काम करता है।वे वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा मानते हैं जैसे उसने अपने जीवनकाल में संपत्ति दी हो।"

बी.

सी.

इसलिए वसीयत द्वारा वसीयत, मृत्यु के चिंतन में दिया गया एक उपहार है।यह उपहार से केवल इस तथ्य में अलग है कि यह तुरंत के बजाय भविष्य में प्रभावी होता है।लेकिन इसे स्पष्ट रूप से उपहार के संबंध में सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति स्व-अर्जित संपत्ति जिसे चाहे दे सकता है, जिसमें उसके अपने बेटे भी शामिल हैं; और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह दी गई संपत्ति को प्राप्तकर्ता के हाथों में स्व-अर्जित माना जाएगा।इसलिए, यह इस बात का पालन करेगा कि वसीयत द्वारा दी गई संपत्ति समान रूप से योजनाकार के हाथों में स्व-अर्जित होगी।"

डी.

ई.

15. बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस तरह के दृष्टिकोण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय 8 और लाहौर उच्च न्यायालय 9 ने स्वीकार किया था।सी. एन. अरुणाचल मुदलियार मामले में इस न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी दी और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

एफ.

“9. ... इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार के पिता के पास अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति पर स्वभाव की पूर्ण और अनियंत्रित शक्तियां हैं और उनका पुरुष मुद्दा किसी भी तरह से इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।कानून के इस कथन को तब से कभी चुनौती नहीं दी गई है और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, और हमारी राय में यह सही है कि एक मिताक्षर पिता न केवल अपनी स्व-अर्जित अचल संपत्ति को किसी अजनबी को बेचने के लिए सक्षम है।

जी.

8 परसोतम बनाम जानकी बाई, आई. एल. आर. 29 सभी 354 9 अमरनाथ बनाम गुरन, ए. आई. आर. 1918 लाह 394 ए

एच.

163

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

अपने बेटों की सहमति [मुद्दुन बनाम राम, 6 डब्ल्यू. आर. 71] लेकिन वह अपने बेटों में से एक को दूसरे के नुकसान के लिए ऐसी संपत्ति का उपहार दे सकता है [शीतल बनाम माधो, आई. एल. आर. 1 सभी 394]; और वह अपने उत्तराधिकारियों के बीच असमान वितरण भी कर सकता है [बावा बनाम राजा, 10 डब्ल्यू. आर. 287]।

10. अब तक कानून निष्पक्ष रूप से सुलझा हुआ प्रतीत होता है और विवाद के लिए कोई जगह नहीं है।हालाँकि, इस सवाल पर विवाद पैदा होता है कि एक बेटा अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में किस तरह का हित लेगा, जो वह उससे उपहार या वसीयतनामा के रूप में प्राप्त करता है, जबकि उसके अपने पुरुष मुद्दे पर।क्या यह उसके हाथों में भी स्व-अर्जित संपत्ति बनी रहती है, जो उसके बेटों और पोतों के अधिकारों से अबाधित रहती है या क्या यह उसके हाथों में पैतृक संपत्ति बन जाती है, हालांकि वंश द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, जिसमें उसका पुरुष हिस्सा उसके साथ सह-मालिक बन जाता है?.....

बी.

सी.

11. इस स्थापित विधि को ध्यान में रखते हुए कि एक मिताक्षरा पिता को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति पर निपटान का अधिकार है, जिसमें उसके पुरुष वंशजों द्वारा कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, हमारी राय में यह मानना संभव नहीं है कि एक बेटे को विरासत में दी गई या

उपहार में दी गई ऐसी संपत्ति आवश्यक रूप से, और सभी परिस्थितियों में, प्राप्तकर्ता के हाथों में पैतृक संपत्ति के रूप में रैंक की जानी चाहिए जिसमें उसके बेटे समन्वित ब्याज प्राप्त करेंगे।

डी.

ई.

16. इसके अलावा, यह माना गया कि पिता के उपहार विभाजन से मुक्त हैं।इस भेद का कारण यह है कि पैतृक संपत्ति में पिता और पुत्र के बीच समान स्वामित्व का सिद्धांत पिता के उपहारों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“12. ...लेकिन जब पिता दादा की संपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त करता है, तो वह इसे इसलिए प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वह एक बेटा है या उस संपत्ति पर उसका कोई कानूनी अधिकार है, बल्कि इसलिए कि उसके पिता ने उस पर एक अनुग्रह करने का विकल्प चुना जो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता था।ऐसी संपत्ति में वह जो ब्याज लेता है, वह अनुदानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।हम सोचते हैं कि इस भेद को ध्यान में न रखने से बहुत भ्रम पैदा हुआ है।यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में पैतृक है या नहीं, न केवल मूल और वर्तमान धारक के बीच संबंध बल्कि संचरण के तरीके को भी देखा जाना चाहिए; और संपत्ति को आम तौर पर पैतृक के रूप में तभी माना जा सकता है जब वर्तमान धारक को यह उसके पुत्र होने या होने के कारण मिला हो।

एफ.

जी.

एच.

मूल मालिक के वंशज।हमारा मानना है कि मिताक्षर इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट है।इसने पिता के उपहारों को पूरी तरह से एक अलग श्रेणी के तहत रखा है और एक से अधिक स्थानों पर उन्हें विभाजन से मुक्त घोषित किया है।इस प्रकार अध्याय I, धारा 1, प्लैसिटम 19 मिताक्षर में नारद के एक पाठ का उल्लेख किया गया है जो कहता हैः“सिवाय इसके कि वीरता से क्या प्राप्त होता है, एक पत्नी का धन और विज्ञान द्वारा जो अर्जित किया जाता है जो तीन प्रकार की संपत्ति है जो विभाजन से मुक्त है; और एक पिता द्वारा प्रदान किया गया कोई भी अनुग्रह।” XXXX

बी.

15. इस संबंध में एक अन्य तर्क पर जोर दिया गया है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का समर्थन मिला है, जिन्होंने पूर्ण पीठ मामले का फैसला किया था। कपोर्नी, आई. एल. आर. 23 पैट 599] जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।ऐसा कहा जाता है कि पिता के उपहार के संबंध में अपवाद जैसा कि प्लेसिटम 28 में निर्धारित किया गया है, केवल दाता और उसके भाइयों के बीच विभाजन का संदर्भ है, लेकिन जहां तक दाता के पुरुष मुद्दे का संबंध है, यह अभी भी आंशिक है।यह तर्क, हमारी राय में, सही नहीं है।यदि स्व-अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान सभी विभाजनों पर लागू होता है, चाहे वह संपार्श्विक के बीच हो या पिता और उसके बेटों के बीच, तो इसका कोई कल्पनीय कारण नहीं है कि शांति 28, जो एक ही अध्याय में आता है और एक ही विषय से संबंधित है, विभाजन के सभी मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए और केवल संपार्श्विक तक ही सीमित होना चाहिए।यह भेद करने का कारण निस्संदेह पैतृक संपत्ति में पिता और पुत्र के बीच समान स्वामित्व का सिद्धांत है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और जो हमारी राय में पिता के उपहारों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।इसलिए, हमारा निष्कर्ष यह है कि एक पिता द्वारा अपने बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति केवल इस तथ्य के कारण नहीं बन सकती कि उसे अपने पिता या पूर्वज से यह संपत्ति मिली थी।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. इस न्यायालय ने आगे कहा कि समग्र रूप से वसीयत को पढ़ने पर, यह निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि वसीयतकर्ता का इरादा अपने बेटों और पोतों के अधिकारों से किसी भी तरह से बंधे बिना अपनी स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में पूर्ण अधिकारों में संपत्तियों को लेना था।दूसरे शब्दों में, उनका इरादा यह नहीं था कि संपत्ति को बेटों द्वारा पैतृक संपत्ति के रूप में लिया जाए।नतीजतन, अपील को स्वीकार कर लिया गया और बेटे द्वारा अपने पिता के खिलाफ विभाजन का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

जी.

एच.

165

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]

ए.

ए.

18. एक अन्य मामले में पुलवर्थी वेंकट सुब्बा राव और ओआरएस. वी. के रूप में रिपोर्ट किया गया।वल्लूरी जगन्नाथ राव (मृतक) अपने उत्तराधिकारियों और एल. आर. और

ओआरएस। 10, जीवन संपदा वल्लूरी जगन्नाथ राव द्वारा अपने दो बेटों, श्रीवत्शंकर राव और नरसिम्हा राव को दी गई थी। एक शर्त थी कि यदि उनके किसी भी बेटे ने कोई बेटा नहीं छोड़ा, तो उनके दूसरे बेटे जीवन संपदा के अंत में संपत्तियों के हकदार होंगे।उच्च न्यायालय ने कहा कि वसीयत के तहत नरसिम्हा राव के दो बेटों द्वारा ली गई संपत्तियां उनकी अलग-अलग संपत्तियां थीं न कि पैतृक संपत्तियां क्योंकि वसीयत में ऐसा कोई इरादा नहीं था।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“8. निर्णय-देनदारियों का तर्क था कि वसीयत के तहत दो व्यक्ति वसीयतदार थे।उन्होंने गाँवों को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में लिया, और अधिनियम की धारा 3 (ii), परंतुक (D) लागू होने से पहले इन दोनों गाँवों पर देय पेशकाश को उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए।डिक्री-धारकों के पक्ष में तर्क था कि ये संपत्तियां एक अविभाजित हिंदू परिवार के पास थीं और नरसिम्हा राव के बेटों ने वसीयत के तहत संपत्तियों को पैतृक संपत्तियों के रूप में लिया था, और दोनों गांवों के संबंध में पेशकाश को उक्त परंतुक के आवेदन के उद्देश्य से एक साथ जोड़ा जाना चाहिए।उच्च न्यायालय ने कहा कि वसीयत के तहत नरसिम्हा राव के दो बेटों द्वारा ली गई संपत्तियां उनकी अलग-अलग संपत्तियां थीं, न कि पैतृक संपत्तियां, क्योंकि इसके विपरीत इरादे दिखाने के लिए कोई शब्द नहीं थे।उच्च न्यायालय ने गाँवों के विभाजन में प्रत्यर्थीगण के आचरण का भी उल्लेख किया और कहा कि संपत्ति संयुक्त रूप से नहीं बल्कि निश्चित शेयरों में थी।इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों गाँवों के संबंध में पेशकाश को एकत्रित नहीं किया जा सकता है।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने कलागमपुडी और पेदमामिदिपल्ली के तीन-पांचवें हिस्से के संबंध में पेशकश को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और कहा कि चूंकि नरसिम्हा राव के प्रत्येक पुत्र को केवल अपने हिस्से का भुगतान करना आवश्यक था, इसलिए उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया गया पेशकश परन्तुक (डी) में उल्लिखित 500 रुपये से अधिक नहीं था, और इसलिए निर्णय-देनदार कृषक थे।मामले के इस हिस्से को आंध्र प्रदेश के विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे सामने चुनौती नहीं दी थी।वास्तव में, उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया जाता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सी. एन. अरुणाचल मुदलियार बनाम सी. ए. मुरुगनाथा मुदलियार

[(1954) एस. सी. आर. 243], संपत्ति की प्रकृति के संबंध में

एच.

10 आकाशवाणी 1967 एससी 591

166

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

नरसिम्हा राव के दो बेटों को विरासत में मिला और इस मौलिक तथ्य पर सवाल नहीं उठाया जा सका।

19. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने श्याम नारायण प्रसाद का उल्लेख किया है।यह एक ऐसा मामला है जिसमें विचाराधीन संपत्ति को विचारण न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति माना गया था।उसमें वादी गोपाल प्रसाद के बेटों में से एक के बेटे और पोते थे, जो अंतिम पुरुष धारक थे, उन्हें संपत्ति में समान हिस्सा पाया गया।इस सवाल की जांच की गई कि क्या विभाजन में गोपाल प्रसाद के बेटों में से एक को आवंटित संपत्ति सह-स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में बनी हुई है।यह उक्त निष्कर्ष था जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

सी.

“12. यह तय किया जाता है कि एक पुरुष हिंदू को अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता से विरासत में मिली संपत्ति एक पैतृक संपत्ति है।मिताक्षर कानून के अनुसार, पैतृक संपत्ति की अनिवार्य विशेषता यह है कि जो व्यक्ति इसे विरासत में प्राप्त करता है, उसके बेटे, पोते और महान पोते, अपने जन्म के समय ही ब्याज और ऐसी संपत्ति से जुड़े अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।पैतृक संपत्ति के विभाजन पर एक सह-भागीदार जो हिस्सा प्राप्त करता है, वह उसके पुरुष मुद्दे के संबंध में पैतृक संपत्ति है।विभाजन के बाद, बेटे के हाथों में संपत्ति पैतृक संपत्ति बनी रहेगी और उस बेटे का प्राकृतिक या गोद लिया हुआ बेटा इसमें ब्याज लेगा और उत्तरजीविता द्वारा इसका हकदार होगा।”

डी.

ई.

20. उपरोक्त मामले में जिस प्रश्न की जांच की गई वह विभाजन के बाद संपत्ति की स्थिति के संबंध में था।उक्त प्रश्न वर्तमान मामले में नहीं उठ रहा है क्योंकि यह विभाजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि डोनी के पक्ष में वसीयती उत्तराधिकार का प्रश्न है।

एफ.

21. इस निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आशाभाई पटेल ने संपत्ति खरीदी थी, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत को निष्पादित करने में सक्षम थे।चूँकि वसीयत का लाभार्थी उसका बेटा था और वसीयत में किसी भी इरादे के अभाव में, लाभार्थी सी. एन. अरुणाचल मुदलियार मामले के संदर्भ में स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण करेगा।इस बात के प्रमाण का भार कि संपत्ति पैतृक थी, केवल वादी पर था।यह उन्हें साबित करना था कि आशाभाई की वसीयत का उद्देश्य परिवार के लाभ के लिए संपत्ति को पहुँचाना था ताकि इसे पैतृक संपत्ति के रूप में माना जा सके।इस तरह के किसी भी कथन या प्रमाण के अभाव में, दाता के हाथों में संपत्ति को स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए।एक बार दानदाता के हाथों में संपत्ति ए है

जी.

एच.

167

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

स्व-अर्जित संपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित, वह अपनी संपत्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करने में सक्षम था कि वह परिवार के लिए किसी अजनबी के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित करने सहित उचित समझता है।

22. अन्य भौतिक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान के संदर्भ में उपहार विलेख के निष्पादन से विशेष रूप से इनकार किया है, ताकि प्रतिवादी के लिए उपहार विलेख को साबित करने के लिए प्रमाणक गवाहों में से एक से पूछताछ करना अनिवार्य हो सके।

बी.

23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 निम्नानुसार हैः

“68. कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण

सी.

सत्यापित-यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम है:

डी.

बशर्ते कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किए गए किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के रूप में एक प्रमाणक गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।"

ई.

24. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 के अनुसार एक उपहार विलेख को अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।इसी तरह का प्रावधान एक वसीयत के निष्पादन के संबंध में है जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के संदर्भ में सत्यापित किया जाना आवश्यक है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से प्रमाणक गवाहों में से एक की जांच करना अनिवार्य बनाती है, लेकिन ऐसी सीमा भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के संबंध में लागू नहीं होती है, जब तक कि निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है।25. उपहार विलेख (Ex.104) पंजीकृत है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है, यह ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष है।विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

एफ.

जी.

"हालाँकि, जहाँ तक एक्सएच-104 के उपहार विलेख का संबंध है, यह साबित करने के लिए कि स्वर्गीय छोटाभाई आशाभाई ने इसे निष्पादित किया था।

एच.

प्रतिवादी के पक्ष में पूरी तरह से सचेत अवस्था में उपहार विलेख, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा-123 के अनुसार यह आवश्यक है कि इस उपहार विलेख पर निष्पादक द्वारा दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसका अर्थ है कि इसे दो प्रमाणक गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाना चाहिए।इसके अलावा, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा उपहार विलेख पंजीकृत है।एक्श-104 के उपहार विलेख को देखते हुए, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि यह उप-पंजीयक, पादरा के समक्ष ठीक से पंजीकृत है।यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि (1) भीखाभाई रामाभाई और (2) दर्शनभाई धुलाभाई ने इस उपहार विलेख में प्रमाणक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं।इस प्रकार, यह पाया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।हालाँकि, इसके साथ-साथ विलेख के प्रमाणित करने वाले गवाहों से पूछताछ करना भी आवश्यक है।”26. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपहार विलेख के प्रमाणक गवाह भीखाभाई रामाभाई और करसनभाई धूलाभाई हैं, जबकि सोलंकी भीखाभाई रामाभाई और वैद अलकाबेन विनोदचंद्र दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय गवाह हैं।यह तर्क दिया जाता है कि दस्तावेज़ के प्रमाणक गवाहों की जांच नहीं की गई है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में उपहार विलेख के निष्पादन को साबित करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थीगण ने विशेष रूप से उपहार विलेख के निष्पादन से इनकार नहीं किया है, इसलिए, प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक से पूछताछ करना आवश्यक नहीं था।

बी.

सी.

डी.

ई.

27. विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किया गया मुद्दा संख्या 1 यह है कि क्या उपहार विलेख मनगढ़ंत है।इस तरह का मुद्दा शिकायत में किए गए कथनों के आधार पर उत्पन्न होता है, जिसमें अपीलार्थीगण ने उपहार विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया है, लेकिन आरोप लगाया है कि डोनी ने संपत्ति हड़पने के लिए असफल प्रयास किया है।अपीलार्थीगण ने अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी है कि दाता की पत्नी चंचलबन की अगस्त, 1997 में मृत्यु हो गई थी।इस प्रकार, दाता के लिए उपहार विलेख को निष्पादित करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि दाता के असली भतीजे दाता का पूरा नियंत्रण ले रहे थे।चुनौती का दूसरा आधार यह था कि प्रमाणक गवाहों का दाता के साथ कोई संबंध नहीं है और न ही वे दाता के मित्र हैं।यह भी आरोप लगाया गया था कि उपहार धार्मिक कारणों से या किसी धार्मिक ट्रस्ट या संस्था के लिए या सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है और न ही दाता द्वारा अपीलार्थीगण से सहमति मांगी गई है।शिकायत में विशिष्ट अभिकथन इस प्रकार हैं:

एफ.

जी.

“2) मृतक छोटाभाई आशाभाई, जो वादी संख्या 1 से 4 और वादी संख्या 1 से 4 के पिता थे, यूएसए ए में रह रहे थे।

एच.

169

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

(अमेरिका) कई वर्षों से और मृतक छोटाभाई पटेल और वादी संख्या 1 से 4 की मां, छोटाभाई आशाभाई की पत्नी चंचलबेन, जिनकी अगस्त, 1997 में और उसके आसपास मृत्यु हो गई थी, और अगस्त, 1997 से, मृतक छोटाभाई आशाभाई इस प्रकार अकेले रह रहे थे, अपने अकेलेपन का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी ने 15/11/1997 पर एक उपहार विलेख को निष्पादित किया जो उप-पंजीयक, पादरा के कार्यालय में वरिष्ठ संख्या 1004 में पंजीकृत था, जिसने उक्त संपत्ति को हड़पने के असफल प्रयास किए, इस प्रकार वादी इस मुकदमे को दायर करने के लिए विवश हैं, जो नीचे बताए गए आधारों पर हैं:

बी.

(क) मृतक छोटाभाई आशाभाई का किसी भी तरह से प्रतिवादी रमनभाई माथुरभाई से कोई संबंध नहीं था।

सी.

(ख) मृतक छोटाभाई आशाभाई पटेल और उनकी पत्नी छोटाभाई आशाभाई पटेल की पत्नी चंचलबेन 1997 से कई साल पहले से अमेरिका में रह रहे थे।

(ग) मृतक छोटाभाई आशाभाई की पत्नी चंचलबेन की अगस्त, 1997 की अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी, इस प्रकार, 15/11/1997 पर, छोटाभाई के लिए उपहार विलेख को निष्पादित करने का कोई कारण नहीं था, न केवल यह कि मृतक छोटाभाई आशाभाई के असली भतीजे जो घयाज में रह रहे थे, वे मृतक छोटाभाई आशाभाई की पूरी देखभाल कर रहे थे, इस प्रकार, उनकी जानकारी के बाहर, किसी भी समय मृतक छोटाभाई के पास विलेख को निष्पादित करने का कोई कारण नहीं था।

डी.

ई.

(घ) आई. डी. 1 दिनांकित उपहार विलेख में, जिन गवाहों ने हस्ताक्षर किए हैं (1) भीखाभाई रामाभाई और (2) दर्शनभाई धुलाभाई जिनके मृतक छोटाभाई आशाभाई के साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं थे और/या वे उनके मित्रों के रूप में भी संबंधित नहीं थे।उनकी उपस्थिति में उपहार विलेख करने का कोई कारण नहीं था।

एफ.

(ई) दिनांकित 15/11/1997 उपहार विलेख में मृतक छोटाभाई आशाभाई द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत की तारीख का विवरण खाली रखा गया है और पंजीकृत वसीयत की तारीख और पंजीकरण संख्या भी खाली रखी गई है, और इस तरह, अपूर्ण विवरण के साथ उपहार विलेख पंजीकृत किया जाता है जो जल्दबाजी में किया जाता है जो वादी के तथ्यों का समर्थन करता है।

जी.

(च) 15/11/1997 दिनांकित उपहार विलेख में यह स्पष्ट है कि मृतक छोटाभाई आशाभाई के हस्ताक्षर जाली हैं, और

एच.

इस तरह जाली हस्ताक्षर के आधार पर उपहार विलेख पंजीकृत किया जाता है, इस संबंध में हम वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए विवश हैं।

(छ) 15/11/1997 दिनांकित उपहार विलेख जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए, इस तरह के उपहार विलेख द्वारा भी प्रतिवादी उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार, हित या दावा प्राप्त नहीं करता है।

बी.

28. अपीलार्थीगण 3 दिसंबर, 2001 की वसीयत का उल्लेख करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे दाता ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था।लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तावित वसीयत के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है।वास्तव में, वसीयत के किसी भी प्रमाणक गवाह की जांच नहीं की गई है।इसलिए, अपीलार्थीगण द्वारा जिस वसीयत पर भरोसा किया गया है, उसे साबित नहीं कहा जा सकता है।

सी.

29. उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थीगण ने कोई सबूत नहीं दिया है कि उपहार विलेख पर उनके पिता के हस्ताक्षर जाली थे क्योंकि न तो नमूना हस्ताक्षर और न ही उपहार विलेख पर विवादित हस्ताक्षर की तुलना करने के उद्देश्य से उनके पिता के लेखन का प्रयास किया गया है।उपहार विलेख पर दाता के हस्ताक्षर के संबंध में किसी विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट नहीं है और न ही दस्तावेज़ को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने के लिए कोई अनुरोध किया गया था।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

ई.

“67. मेरे विचार में, वादी किसी भी जालसाजी को साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। यदि यह वादी का मामला है कि विवादित उपहार विलेख पर उनके पिता के हस्ताक्षर जाली हैं, तो उन पर यह स्थापित करने और साबित करने का बोझ है कि हस्ताक्षर दूसरे द्वारा जाली हैं।केवल संदेह या दावा या जालसाजी का आरोप अपने आप में धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।वादी ने उस 'वसीयत' पर भरोसा करने की कोशिश की जिसके बारे में कहा जाता है कि वर्ष 2001 में उनके दिवंगत पिता ने उनकी मृत्यु से ठीक दो दिन पहले उसे निष्पादित किया था।वादी के चचेरे भाइयों में से एक ने 'वसीयत' निकाली और वादी को सौंप दी।वादी ने इस 'वसीयत' को भुनाने की कोशिश की क्योंकि उक्त 'वसीयत' में वादी के पिता यानी वसीयतकर्ता के अंगूठे की छाप है।वादियों ने इस प्रकार न्यायालयों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की कि पिता अनपढ़ थे और अपने हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे।हालाँकि, यदि वादी 'वसीयत' पर भरोसा करना चाहते हैं, तो उन्हें ए प्रस्तुत करना चाहिए था।

एफ.

जी.

एच.

171

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

मूल और उक्त 'वसीयत' को प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच करके कानून के अनुसार इसे साबित किया।'इच्छा' का प्रदर्शन भी नहीं किया गया है, और इसलिए, उस पर गौर करने का कोई सवाल ही नहीं है।ट्रायल कोर्ट के पूरे दृष्टिकोण को गलत कहा जा सकता है और इससे न्याय की गंभीर विफलता हुई है।मेरा विचार है कि वादी ने व्यावहारिक रूप से कोई सबूत नहीं दिया है, यहां तक कि प्रथम दृष्टया यह संदेह पैदा करने के लिए कि उपहार

विलेख पर उनके पिता के हस्ताक्षर जाली हैं।वादी उपहार विलेख पर विवादित हस्ताक्षर की तुलना करने के उद्देश्य से अपने पिता के नमूना हस्ताक्षर या लेखन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते थे।ट्रायल कोर्ट को दस्तावेज़ को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजकर इस संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय लेने के लिए कहा जा सकता था।इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया।साक्ष्य में केवल इतना कहा गया है कि पिता के पास प्रतिवादी के पक्ष में उपहार विलेख को निष्पादित करने का कोई उचित कारण नहीं था, विशेष रूप से, जब बेटे अपने पिता की अच्छी देखभाल कर रहे थे।इसे धोखाधड़ी या जालसाजी के संबंध में शायद ही सबूत कहा जा सकता है।वादी ने यह भी दलील नहीं दी है या अपदस्थ नहीं किया है कि उनके पिता अनपढ़ थे और अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं थे।यदि अभिलेख पर साक्ष्य की जांच की जाती है, तो वादी ने अपने पिता के हस्ताक्षर के संबंध में संदेह व्यक्त किया है।"30. इस स्तर पर, हम दोहरा सकते हैं कि यद्यपि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर चर्चा की है, लेकिन इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति पैतृक है, कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि उपहार विलेख जाली है या नहीं।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक संक्षिप्त निर्णय में विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की।ट्रायल कोर्ट ने किसी भी निष्कर्ष को दोहराया नहीं है कि उपहार विलेख जाली है।इसलिए, उच्च न्यायालय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुद्दा संख्या 1 पर निर्णय लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

31. अपीलार्थीगण ने संभावनाओं के कारण उपहार विलेख को चुनौती दी क्योंकि गवाह परिवार या दोस्तों से संबंधित नहीं थे या यह कि उपहार धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं था।दूसरी चुनौती जालसाजी या मनगढ़ंत के आधार पर थी।अभियोग के पूरे पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि उपहार विलेख के निष्पादन का कोई विशिष्ट इनकार था।

जी.

32. अपीलार्थीगण ने रोसम्मल में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया है।

इसथीनाम्मल फर्नांडीज **(**मृत**)** एल**.** आर**.** और ओ**.** आर**.** एस**.** बनाम।जूसा मरियन

एच.

फर्नांडीज और ओआरएस। **11** और के**.** लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल पद्मिनी और

ओआरएस। 12.लेकिन हम पाते हैं कि दोनों निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।रोसम्मल में, अपीलार्थी ने विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया था और उपहार विलेख, निपटान विलेख और वसीयत के निष्पादन को चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने पाया कि उपहार विलेख के निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।ऐसा पता लगाने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

बी.

"11. धारा 68 के प्रावधान के तहत कम से कम एक प्रमाणक गवाह को पेश करने का दायित्व वापस ले लिया जाता है यदि ऐसे किसी दस्तावेज के निष्पादन, जो एक वसीयत नहीं है जो पंजीकृत है, को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है।इसलिए, सब कुछ इस तरह के इनकार के इस तथ्य की रिकॉर्डिंग पर निर्भर करता है।यदि कोई विशिष्ट अस्वीकृति नहीं है, तो परंतुक लागू होता है लेकिन यदि अस्वीकृति है, तो परंतुक लागू नहीं होगा। वर्तमान मामले में जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है, वादी द्वारा ऐसे दस्तावेज़ के निष्पादन से स्पष्ट इनकार है, इसलिए उच्च न्यायालय उक्त परंतुक को लागू करने में त्रुटि में पड़ गया जो इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।इसे देखते हुए उपहार विलेख का निष्पादन, प्रदर्शनी बी-1 साबित नहीं हुआ है।मान लीजिए कि इस मामले में दो प्रमाणक गवाहों में से कोई भी पेश नहीं किया गया है।एक बार जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के गैर-अनुपालन को देखते हुए उपहार विलेख को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो हम मानते हैं कि वादी ने इसके निष्पादन को सफलतापूर्वक चुनौती दी है।33. उक्त मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने पाया कि उपहार विलेख के निष्पादन का विशिष्ट इनकार है, इसलिए, प्रमाणक गवाहों में से एक की जांच के अभाव में, उपहार विलेख साबित नहीं होता है।34. के. लक्ष्मणन में, बेटी द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर चथू की संपत्ति का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था।प्रतिवादी (चथू का पुत्र) ने एक उपहार विलेख (Ex.B-2) के साथ-साथ अपने पक्ष में वसीयत पर भरोसा किया।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों प्रमाणक गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, इसलिए उपहार विलेख और वसीयत निष्पादित साबित नहीं होती हैं।यह पाया गया कि लिखित बयान में उपहार विलेख पर भरोसा किया गया था जिसे निषेधाज्ञा आवेदनों के संबंध में दायर हलफनामे में विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“29. दलीलें जैसा कि हम सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के तहत समझते हैं और जैसा कि इसके तहत परिभाषित किया गया है

11 (2000) 7 एससीसी 189 12 (2009) 1 एससीसी 354 ए

एच.

173

गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और ओआरएस. वी.पटेल रामनभाई माथुरभाई [हेमंत गुप्ता, जे.]
ए.

संहिता के नियम 1, आदेश 6 के प्रावधान में केवल एक शिकायत और एक लिखित बयान शामिल है।प्रतिवादी-वादी लिखित कथन में उठाई गई याचिका के संबंध में एक प्रतिकृति दायर कर सकता था, जो यदि अदालत द्वारा अनुमति दी जाती तो अभिवचन का हिस्सा बन जाता, लेकिन केवल प्रतिकृति दाखिल न करने का मतलब यह नहीं है और इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि लिखित कथन में अनुरोध किए गए तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इनकार के रूप में विशिष्ट आपत्ति निषेधाज्ञा आवेदनों के संबंध में दायर हलफनामों में उठाई गई थी जिन्हें निचली अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया था और इसके अलावा उक्त हलफनामे की रिकॉर्ड पर स्वीकृति को न तो चुनौती दी गई थी और न ही वर्तमान अपीलार्थी द्वारा सवाल किया गया था।”

बी.

सी.

35. उपरोक्त मामले में, वादी ने प्राकृतिक उत्तराधिकार का दावा किया जबकि प्रतिवादी ने उपहार विलेख पर भरोसा किया।उपरोक्त निर्णयों में, यह तथ्य के रूप में माना गया है कि उपहार विलेख के निष्पादन का विशिष्ट खंडन किया गया था।लेकिन वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण उपहार विलेख की जालसाजी और मनगढ़ंत याचिका के साथ सामने आए जो सत्यापित दस्तावेज़ के प्रमाण की तुलना में अलग-अलग आरोपों और सबूत पर आधारित है।
36. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 4 में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जिनमें किसी भी गलत निरूपण, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जानबूझकर चूक या अनुचित प्रभाव के आरोप हैं, अभिवचनों में आवश्यक विवरण दिए जाने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

37. बदत एंड कंपनी बॉम्बे बनाम ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी 13 में,

आदेश VIII नियम 3 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि लिखित कथन को विशेष रूप से वाद में तथ्य के प्रत्येक आरोप से निपटना चाहिए और जब कोई प्रतिवादी ऐसे किसी भी तथ्य से इनकार करता है, तो उसे ऐसा टालमटोल से नहीं करना चाहिए और सार के बिंदुओं का उत्तर देना चाहिए।यदि उक्त तथ्य का उनका खंडन विशिष्ट नहीं है, लेकिन टालमटोल करने वाला है, तो उक्त तथ्य को स्वीकार किया जाएगा।

एफ.

38. अपीलार्थीगण उपहार विलेख के मनगढ़ंत निर्माण के आधार पर मुकदमे में गए। अपीलार्थीगण ने उपहार विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया है, लेकिन आरोप लगाया है कि यह जाली या मनगढ़ंत है।हालाँकि, अपीलार्थीगण उपहार विलेख के निष्पादन में कोई जालसाजी साबित नहीं कर पाए हैं।

जी.

39. दशरथ प्रसाद बाजूराम बनाम लल्लोसिंह सनमानसिंह

& एन**.** आर**. 14** इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या प्रतिवादी संख्या **1**

13 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 538 14 ए. आई. आर. 1951 नाग 343

एच.

उचित सत्यापन और विचार के लिए बंधक विलेख को निष्पादित किया।साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि 'विशिष्ट' शब्द को धारा 68 के प्रावधान में दिखाई देने वाले कुछ अर्थ दिए जाने चाहिए।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“11. हालाँकि, यह सवाल उठाता है कि क्या एक एम. टी. जी. ई. का केवल सामान्य इनकार या इसे स्वीकार नहीं करना एक विशिष्ट इनकार के रूप में माना जा सकता है।यह देखा जाएगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 का प्रावधान एक विशिष्ट इनकार की बात करता है।'विशिष्ट' शब्द का कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए।इसका मतलब एक सामान्य इनकार के अलावा कुछ होना चाहिए।तदनुसार मेरे निर्णय में धारा 68 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए केवल सामान्य इनकार करना पर्याप्त नहीं है।'झिल्लर बनाम राजनारायण', ए. आई. आर. (22) 1935 ऑल 781 में पी.784 :(156 आई. सी. 45) और 'लेहम सिंह बनाम सुरेंद्र बहादुर सिंह' में, 54 सभी 1051 पी.1058 :(आकाशवाणी (19) 1932

सभी 527 एफ. बी.)।लेकिन मेरी राय में उन निर्णयों को 'सुरेंद्र बहादुर बनाम बिहारी सिंह', ए. आई. आर. (26) 1939 पी. सी. 117 में पी. सी. के अपने प्रभुओं के निर्णय को देखते हुए बहुत दूर तक जाना चाहिएः(आईएलआर 1939 केएआर 222)।उनके अधिपतियों ने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए अब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यदि कोई पक्ष विशेष रूप से कहता है कि वह किसी विशेष तथ्य को स्वीकार नहीं करता है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के परंतुक के अर्थ के भीतर एक विशिष्ट इनकार के बराबर है। लेकिन पी. सी. का निर्णय, मेरी राय में, अलग है।

बी.

सी.

डी.

ई.

12. पी. सी. मामले में निष्पादन और सत्यापन दोनों को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।यह केवल एम. टी. जी. ई. के सामान्य खंडन का मामला नहीं था।वहाँ लिखित कथन इन शब्दों में थाः

“मुकाबला करने वाला कुशल।पी. सी. ने कहा कि मुकदमे में मुकदमा किए गए दस्तावेज़ के निष्पादन और पूरा होने को स्वीकार नहीं करता है।

एफ.

“लछमन सिंह की ओर से यह तर्क दिया गया कि एम. टी. जी. bond.had का निष्पादन और 'उचित सत्यापन' साबित नहीं हुआ है।”

जी.

13. मामला मेरी राय में अलग है जब कोई विशिष्ट इनकार नहीं होता है या जब निष्पादन के तथ्य को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन केवल एक सामान्य इनकार होता है।जैसा कि मैंने कहा है, 'विशेष रूप से अस्वीकार' शब्दों को कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए।इसलिए सी. पी. सी. के ओ. 8 आर. 3 के प्रावधानों को भी कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि ए

एच.

ए.

“यह एक कौशल के लिए पर्याप्त नहीं होगा।पी. एल. टी. एफ. द्वारा कथित आधारों को आम तौर पर नकारने के लिए अपने लिखित बयान में।, लेकिन चतुर।विशेष रूप से उन तथ्यों के प्रत्येक आरोप से निपटना चाहिए जिनके बारे में वह सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है।

40. कन्नन नाम्बियार बनाम नारायणी अम्मा और अन्य। **15,** द

केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाले एक व्यक्ति की बेटी द्वारा दायर एक मुकदमे पर विचार कर रही थी।उपहार विलेख को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में स्वीकार किया गया था।अदालत ने माना कि उपहार के निष्पादन का विशिष्ट इनकार एक स्पष्ट और स्पष्ट कथन है कि दाता ने दस्तावेज़ को निष्पादित नहीं किया। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“14. शुरुआत में हमें यह जांचना होगा कि क्या अभिवचनों में दस्तावेज़ के निष्पादन का कोई विशिष्ट खंडन है।यह विचार करने से पहले कि क्या कोई विशिष्ट इनकार है, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि जब परंतुक किसी विशिष्ट इनकार का आदेश देता है तो सटीक आवश्यकता क्या है।‘विशिष्ट 'का अर्थ है सटीकता के साथ, एक में सटीकता

बी.

सी.

निश्चित तरीके से (वेबस्टर का तीसरा नया अंतर्राष्ट्रीय देखें)

डी.

शब्दकोश)।यह स्पष्ट है कि सामान्य अस्वीकृति के साथ विशिष्ट अस्वीकृति को इंगित करने के लिए कुछ और आवश्यक है।दशरथ प्रसाद बनाम लालोसिंग (ए. आई. आर.) देखें। 1951 नाग। 343)

15. हम सोचते हैं कि उपहार के निष्पादन का विशिष्ट इनकार एक स्पष्ट और स्पष्ट कथन है कि दाता ने दस्तावेज़ को निष्पादित नहीं किया।इसका मतलब यह नहीं है कि इनकार स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, बल्कि यह अयोग्य, स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए।यह निष्पादन का निश्चित और निश्चित इनकार होना चाहिए।जिस बात से विशेष रूप से इनकार किया जाना चाहिए वह है दस्तावेज़ का निष्पादन।अन्य दलीलें जो आवश्यक रूप से और स्पष्ट रूप से कथित निष्पादक द्वारा दस्तावेज़ के निष्पादन का उल्लेख नहीं करती हैं, परंतुक में विचार किए गए इनकार के लिए एकत्र नहीं की जा सकती हैं।

ई.

एफ.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

18. जिस प्रश्न से उपरोक्त उत्तर प्राप्त हुआ, वह प्रतिवादियों के मामले की स्पष्ट समझ देता है क्योंकि वे अपने मामले को समझते थे।प्रतिवादियों के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि आनंदन नांबियार द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था।उनका मामला यह है कि दस्तावेज़ वैध नहीं है क्योंकि इसे उन परिस्थितियों में निष्पादित किया गया था जो दस्तावेज़ को अमान्य बना देंगे।दस्तावेज़ के निष्पादन का कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। प्रत्यर्थीगण कर सकते हैं

जी.

एच.

15 1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 174:1984 के. एल. टी. 855

176

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के परंतुक की सहायता लें। दस्तावेज़ को साबित करने के लिए एक प्रमाणक गवाह को नहीं बुलाने में कोई दोष नहीं है।हमें नहीं लगता कि हम Ext को नजरअंदाज कर सकते हैं। ए 1 उपहार विलेख इस आधार पर कि उपहार विलेख को साबित करने के लिए कोई प्रमाणक गवाह नहीं बुलाया गया है।"

41. वर्तमान मामले के तथ्य उन तथ्यों के समान हैं जो कन्नन नांबियार मामले में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष थे।अपीलार्थीगण ने दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार नहीं किया है, बल्कि जालसाजी और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।किसी भी जालसाजी या मनगढ़ंत के किसी भी सबूत के अभाव में और कन्नन नाम्बियार में आयोजित तरीके से उपहार विलेख के निष्पादन के विशिष्ट इनकार के अभाव में, डोनी उपहार विलेख के प्रमाणक गवाहों में से एक की जांच करने के लिए बाध्य नहीं था।अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, दानदाता कई वर्षों से दानदाता की देखभाल कर रहा था।अपीलार्थीगण संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे लेकिन अपने माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहे।इसलिए, अपीलार्थीगण के पिता ने एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित किया है जो उनके साथ खड़ा था।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है।

बी.

सी.

डी.

42. इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जो वर्तमान अपील में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है और तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

ई.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

एच.